

न्यायालय:श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-111/2014
 संस्थित दिनांक-31.01.2014
 फाईलिंग क्र. 234503001602014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

शारदाप्रसाद पिता चरणलाल शिव, उम्र-31 वर्ष,
 निवासी-ग्राम सरईटोला लोरा, थाना मलाजखण्ड,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-27/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-16.01.2014 को शाम 05:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव में भारतीय स्टेट बैंक के सामने से मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-7704 को अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राकेश बड़िये ने थाना मलाजखण्ड में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोहगांव में बैंक मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। दिनांक-16.01.2014 को उसने सुबह बैंक के सामने अपनी मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-7704 हैंडल पर ताला लगाकर खड़ी कर दी थी। वह अपने बैंक के कार्य के पश्चात् जब 5:00 बजे बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी मोटरसाईकिल जहां उसने खड़ी की थी, वहां पर नहीं थी। किसी अज्ञात चोर ने उसकी मोटरसाईकिल चोरी कर ली थी। उपरोक्त घटना पर पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक-11/2014, धारा-379 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया। विवेचना के दौरान ग्राम लोरा के शारदाप्रसाद को शंका के आधार पर पकड़ा गया और उसके मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये एवं चोरी की गई मोटरसाईकिल जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार कर साक्षियों के कथन लेख किये गए एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना

उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी के द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-16.01.2014 को शाम 05:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव में भारतीय स्टेट बैंक के सामने से मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-7704 को अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

विचारणीय बिन्दु का कारण निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी राकेश बढिये (अ.सा.1) ने कहा है कि दिनांक-16.01.2014 को वह एस.बी.आई. बैंक मोहगांव में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। उसकी मोटरसाईकिल बैंक के सामने से चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में लेख कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-7704 का रजिस्ट्रेशन बुक की छायाप्रति जप्त की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख कराया था।

6— अभियोजन साक्षी रविशंकर सागौन (अ.सा.2) ने कहा है कि दिनांक-16.01.2014 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मोहगांव में सहायक केशियर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को बैंक शाखा मोहगांव के मैनेजर की मोटरसाईकिल किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई थी। उसके सामने मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति जप्त की गई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी को घटना के बाद पुलिस थाने पर देखा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

7— सुरेश विजयवार (अ.सा.5) ने कहा है कि वह दिनांक—16.01.2014 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड के उपनिरीक्षक के.एस. पवार द्वारा राकेश बड़िये की मौखिक रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक—11/14, धारा—379 भा.द.वि. के तहत लेख की गई थी, जिस पर उपनिरीक्षक के हस्ताक्षर हैं, उसने उपनिरीक्षक के. एस. पवार के साथ कार्य किया है, इसलि वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। दिनांक—17.01.2014 को प्रकरण की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्शपी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उक्त दिनांक को ही फरियादी साक्षियों के समक्ष मोटरसाईकिल की आर.सी. बुक की छायाप्रति जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—3 अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक—18.01.2014 को आरोपी शारदाप्रसाद से साक्षियों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—4 लेख किया था, जिसमें उसने बताया था कि दिनांक—16.01.2014 को मोहगांव बाजार गया और उसके पास एक मास्टर चाबी थी, जिससे मोहगांव स्टेट बैंक के सामने रखी मोटरसाईकिल सुपर स्पलेण्डर क्रमांक—एम. पी—50/एम.ए—7704 को हैण्डल लॉक खोलकर चोरी कर मोटरसाईकिल को अपने घर की मुर्गीखोली में छुपाकर रखा है तथा मास्टर चाबी अपनी पेंट के जेब में रखी है। यह मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—4 पर उसने तथा आरोपी व साक्षीगण ने हस्ताक्षर किये थे। आरोपी से साक्षियों के समक्ष मोटरसाईकिल एवं एक चाबी जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—5 तैयार किया था, जिस पर उसके तथा आरोपी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी को साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया था, जिस पर उसके एवं आरोपी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना की रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही अपने मन से की थी।

8— देवेन्द्र बघेल (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। आरोपी ने पुलिस को उसके समक्ष कोई कथन नहीं दिये थे। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी—4 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई सामग्री जप्त नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—5 के ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके समक्ष आरोपी को

पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके सामने पुलिस को यह बताया था कि उसने मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-7704 को मास्टर चाबी से ताला खोलकर चोरी की एवं मोटरसाइकिल अपने घर पर ले जाकर रखा है। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर चोरी गई मोटरसाइकिल जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार आरोपी के घर से जप्त की गई। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी को उसके सामने गिरफ्तार किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिसवाले एवं बैंक मैनेजर के कहने पर उसने प्रदर्श पी-3 से प्रदर्श पी-6 के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे।

9- गौरव मिश्रा (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2014 की है। उसे घटना के बाद इस बात की जानकारी हुई कि बैंक में मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी, जो मोहगांव स्कूल के पीछे खड़ी है। वह देवेन्द्र बघेल के साथ मोहगांव स्कूल गया था, वहां चोरी की गई गाड़ी थी, इसलिए उसने पुलिस को सूचना नहीं दी। घटनास्थल पर पुलिस आई थी तथा आरोपी और मोटरसाइकिल को थाने लेकर गई थी। पुलिस ने शाम को मेमोरेण्डम, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-4, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 एवं 5 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके सामने पुलिस ने आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी ने प्रदर्श पी-4 का मेमोरेण्डम कथन उसके सामने लेख कराया था, जहां आरोपी ने बताया था कि उसने मास्टर चाबी से वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एम.ए-7704 का ताला खोलकर वाहन की चोरी की थी और वाहन को अपने घर पर छुपाकर रखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस ने आरोपी के घर से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार मोटरसाइकिल की जप्ती आरोपी के घर से की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी को प्रदर्श पी-6 की कार्यवाही अनुसार गिरफ्तार किया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि ध्यान नहीं होने के कारण उसने मोटरसाइकिल स्कूल के पीछे खड़ी होने वाली बात बताई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही पहले हुई थी। उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही मेमोरेण्डम कथन दिनांक-18.01.2014 को 8 बजे की जाना प्रदर्श पी-4 अनुसार दर्शित है। साक्षी

ने यह भी कहा है कि उसने प्रदर्श पी-4 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि प्रदर्श पी-3 लगायत 6 पर हस्ताक्षर उसने थाने में किये थे।

10— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 का अपराध किये जाने का अभियोग है। घटना के विषय में फरियादी राकेश ने प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक-16.01.2014 को लेख कराई थी। प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराई थी। उसके पश्चात् दिनांक-18.01.2014 को आरोपी का मेमोरेण्डम कथन गवाहों के समक्ष लेख किया गया था। यह मेमोरेण्डम कथन गवाह देवेन्द्र बघेल(अ.सा.3), गौरव मिश्रा (अ.सा.4) के समक्ष लेख किया जाना विवेचक सुरेश (अ.सा.5) के न्यायालयीन परीक्षण से प्रकट हो रहा है। साक्षी देवेन्द्र बघेल (अ.सा.3) ने उसके समक्ष मेमोरेण्डम की कार्यवाही नहीं होना व्यक्त किया है और अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी गौरव मिश्रा (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बाद उसे पता चला था कि बैंक से चोरी हुई गाड़ी मोहगांव स्कूल के पीछे खड़ी है। वह मौके पर गया था, जहां चोरी गई गाड़ी उसे मिली थी, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि आरोपी ने उसके समक्ष मेमोरेण्डम कथन लेख कराया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 में लिखित स्थान जहां मेमोरेण्डम कथन लेख कराए गए थे, वह सरईटोला प्राथमिक शाला प्रांगण होना दर्शित है, जबकि साक्षी देवेन्द्र बघेल (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4 पर थाने पर हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-4, जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-5 एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रदर्श पी-6 स्वतंत्र साक्षियों द्वारा समर्थित नहीं मानी जा सकती। चोरी का अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी के आधिपत्य से चोरी की वस्तु पाया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। इस मेमोरेण्डम की कार्यवाही एवं जप्ती की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों से प्रमाणित नहीं है। चूंकि घटना की रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी, इसलिए जब तक मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही पूर्णतः न्यायालय में संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो जाती है, यह घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड

संहिता की धारा-379 में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

11- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

12- प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जाये।

13- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-एम. पी-50/एम.ए-7704 को सुपुर्ददार मनोज मिश्रा पिता बिहारीजी मिश्रा, निवासी-शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मोहगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट को मय दस्तावेज के प्रदान किया गया है, जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

बैहर,
दिनांक-27.05.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट